दिनांक- 06-06-2018

अमान्यता प्राप्त दलों के दान रिपोर्ट का विश्लेषण : वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

Association for Democratic Reforms
T-95, II floor, C.L. House, Gautam Nagar
New Delhi – 110 049
Email: adr@adrindia.org; Phone: 011-4165 4200

प्रस्तावना

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिनाँक 13 अप्रैल, 2018 को जारी नवीनतम **Gazette Notification** के अनुसार पूरे भारत वर्ष से **2099** राजनीतिक दल आयोग में पंजीकृत हैं | जिसमें से लगभग **97%** अर्थात **2044** राजनीतिक दल अमान्यता प्राप्त हैं | अमान्यता प्राप्त दल वो हैं जो हाल ही में चुनाव आयोग में पंजीकृत हुए हैं या वो दल जिन्हें विधान सभा और लोक सभा चुनावों में निर्धारित वोट प्रतिशत नहीं मिला है या जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद चुनाव में भाग न लिया है |

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिलने वाले सभी लाभ अमान्यता प्राप्त दलों को नहीं मिलता है | जैसे कि:

1. अमान्यता प्राप्त दलों को चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की तरह आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं होता है |
2. वे इलेक्टोरल रोल की मुफ्त प्रतियों से वंचित है |
3. वे विधान सभा और लोक सभा चुनावों के दौरान अखिल भारतीय रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारण की मुफ्त सुविधा से वंचित है |
4. उन्हें पार्टी के कार्यालयों के लिए कोई सब्सिडी वाली जमीन नहीं मिलती है |

यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों को आयकर के भुगतान में पूरी छूट लेने के लिए उनको अपना आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा करना होता है और साथ ही साथ सालाना अपने रु 20,000 से अधिक के दान का विवरण चुनाव आयोग को जमा करना होता है | यहाँ तक कि, यदि दल ये घोषित करते हैं कि उन्हें रु 20,000 से अधिक का दान प्राप्त नहीं हुई है, तो भी वे कर छूट का आनंद ले सकते हैं | इस प्रकार, दलों का एक बार चुनाव आयोग में पंजीकृत होने के बाद, दलों को प्राप्त दान में टैक्स माफ़ होता है यदि वो ऊपर दी गयी दो परिस्थितियों का पालन करती है तो |

यह रिपोर्ट अमान्यताप्राप्त दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान जमा किये गये दान का विश्लेषण है |

सारांश

दलों द्वारा घोषित दान: वि व् 2013-14 से 2015-16

a) वि व् 2013-14 के लिए **1627** अमान्यताप्राप्त दलों में से केवल **89** (5%) ने ही अपना दान रिपोर्ट चुनाव आयोग को जमा किया और इन दलों ने दान से प्राप्त अपनी आय **रु 14.03 करोड़** घोषित किया है |
b) वि व् 2014-15 के दौरान चुनाव आयोग में कुल **1737** अमान्यताप्राप्त दल पंजीकृत थे जिसमें से केवल **106** (6%) दलों ने ही अपना दान रिपोर्ट जमा किया | दलों द्वारा घोषित दान से आय **रु 6.86 करोड़** थी |
c) चुनाव आयोग में **1906** अमान्यताप्राप्त दल वि व् 2015-16 में पंजीकृत थे, जिनमें से **99** (5%) ने अपना दान रिपोर्ट आयोग को सौपी थी, दलों ने घोषित दान से **रु 4.37 करोड़** की आय प्राप्त किया |

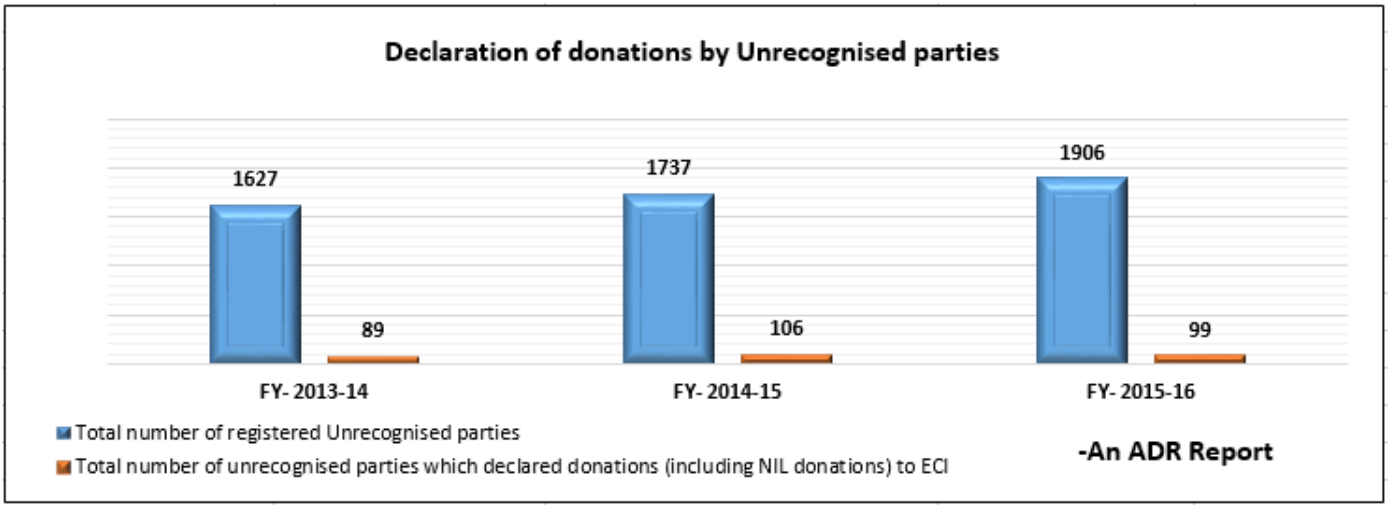

अमान्यताप्राप्त दलों द्वारा घोषित दान का राज्य वार विवरण

a) वि व् 2013-14 से 2015-16 के बीच, **18 राज्यों** के दलों ने अपना दान रिपोर्ट जमा किया है जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं |

b) वि व् 2013-14 से 2015-16 के बीच राजस्थान के अमान्यताप्राप्त दलों ने कुल मिलाकर **रु 10.79 करोड़** प्राप्त किये जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है इसके बाद तेलंगाना के दलों ने **रु 3.82 करोड़** और हरियाणा के दलों ने **रु 2.74 करोड़** का दान प्राप्त किया था |

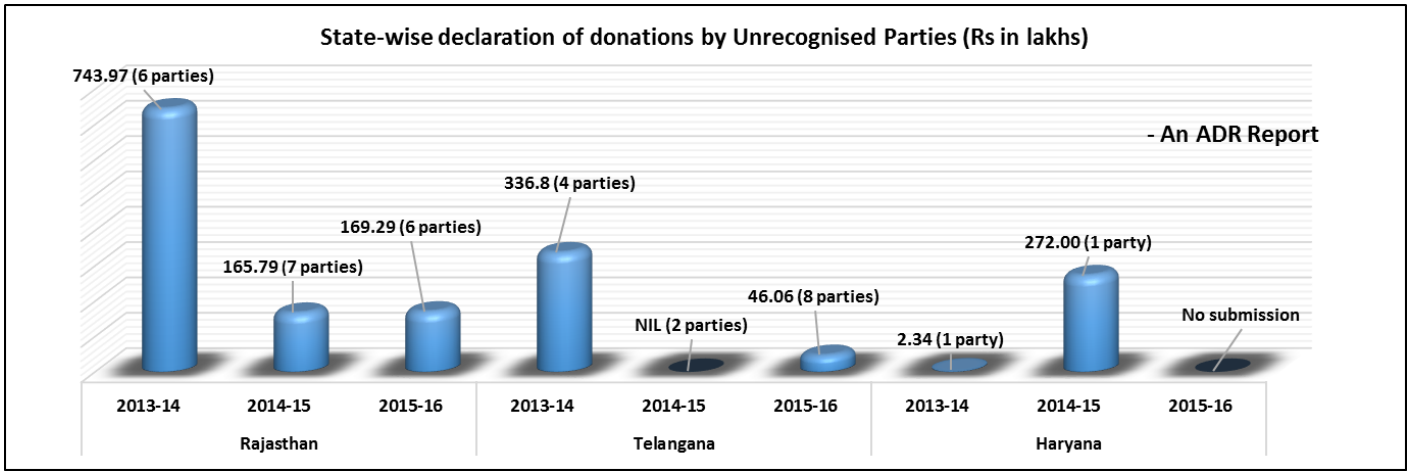

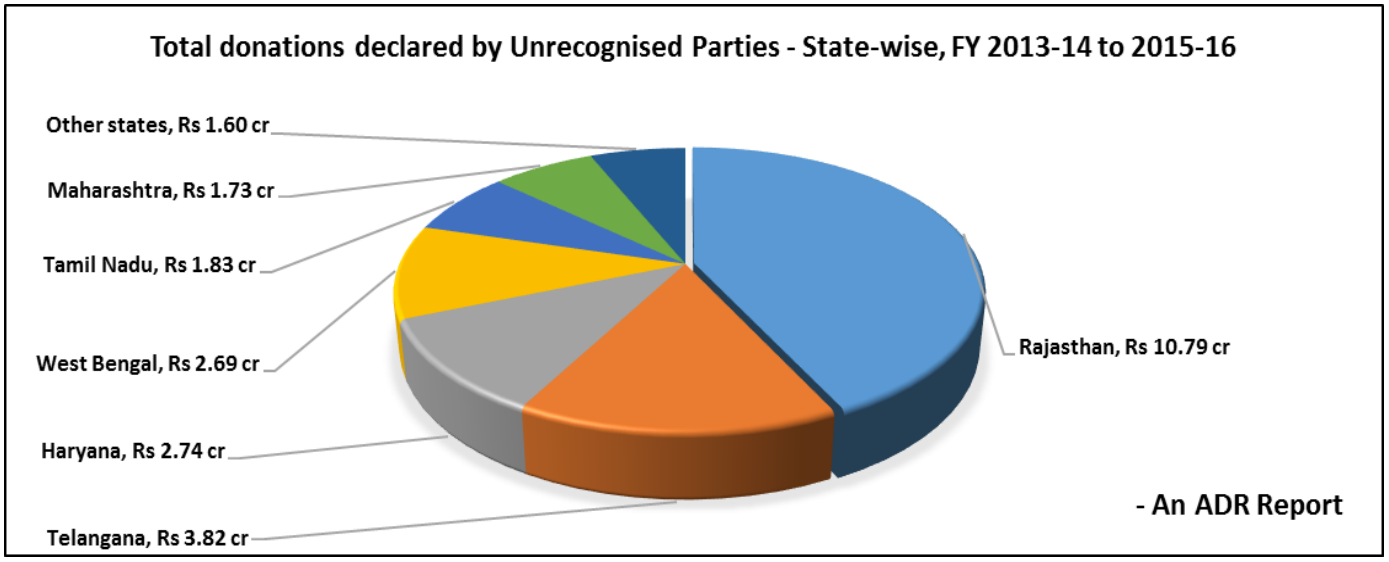

अमान्यता प्राप्त दलों द्वारा घोषित सबसे अधिक दान - राज्य-वार

a) वि व् 2013-14 के दौरान, राजस्थान के सभी अमान्यता प्राप्त दलों में से **National Unionist Zamindara Party** ने सबसे अधिक **रु 3.70 करोड़** का दान घोषित किया था उसके बाद **Shining India Party** ने वि व् 2014-15 में **रु 68.90 लाख** और वि व् 2015-16 में **रु 76.76 लाख** घोषित किया |

b) वि व् 2013-14 और 2015-16 के दौरान **तेलंगाना** के **Lok Satta Party** ने क्रमशः **रु 190.81 लाख** और **रु 28.20 लाख** का सबसे अधिक दान घोषित किया था | यहाँ पर ध्यान दिया जाये की **तेलंगाना** के **दो दलों** ने वि व् 2014-15 के लिए **शून्य** दान घोषित किया |

c) हरियाणा के **Aarakshan Virodhi Party** पार्टी ने वि व् 2013-14 के दौरान **रु 2.34 लाख** का दान घोषित किया जबकि **Haryana Lokhit Party** ने **रु 272 लाख** का दान वि व् 2014-15 के दौरान प्राप्त किया था | वि व् 2015-16 के लिए हरियाणा के कोई भी अमान्यताप्राप्त दल ने अपना दान रिपोर्ट जमा नहीं किया है |

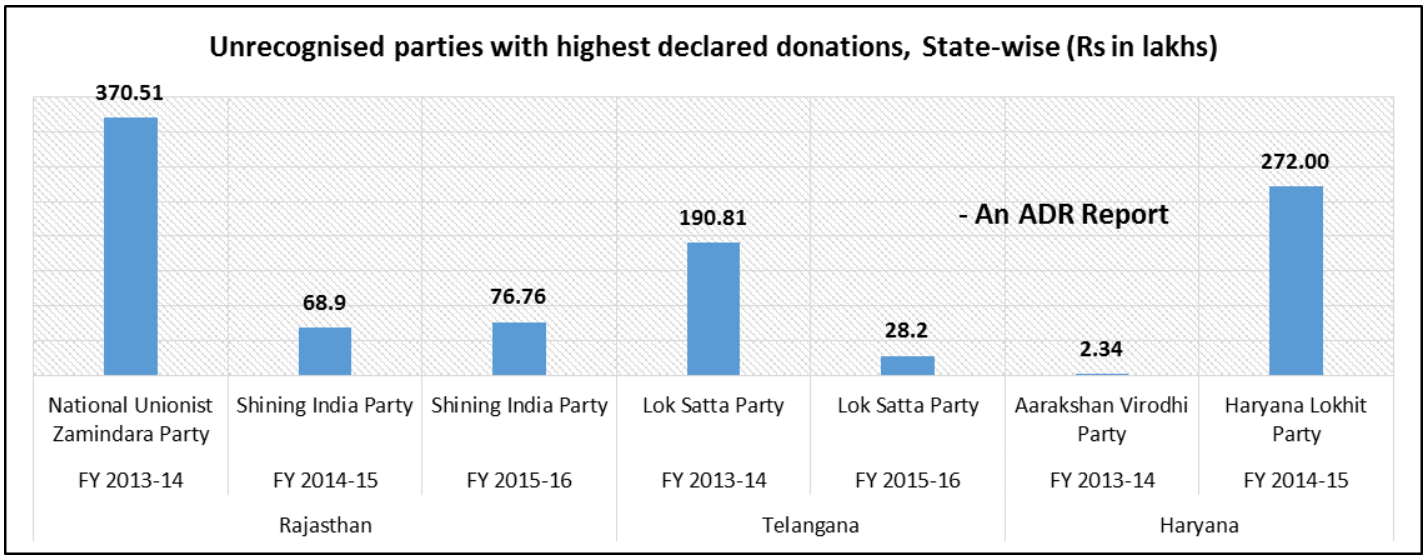

तीन साल लगातार दान रिपोर्ट जमा करने वाले अमान्यताप्राप्त दल

a) कुल **33 अमान्यताप्राप्त दलों** ने ही अपना दान रिपोर्ट लगातार तीन वर्षों तक जमा किया | इनमें गुजरात से **10**, पश्चिम बंगाल से **6**, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान से **4-4**, छत्तीसगढ़ से **2**, दिल्ली, आँध्रप्रदेश और मध्य प्रदेश से **एक-एक** दल शामिल हैं |

b) इन 33 अमान्यता प्राप्त दलों में से, **14 दलों** ने लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए शून्य दान घोषित किया था | इनमें गुजरात से 6, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से 2-2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र से **एक-एक** हैं |

c) शीर्ष तीन अमान्यताप्राप्त दल जिन्होंने सबसे अधिक दान प्राप्त किया है :

S. No.	Name of the party	State	Donations declared (Rs.)			Total donations
			FY 2013-14	FY 2014-15	FY 2015-16	
1	Indian Peoples Green Party	Rajasthan	58,94,000	35,47,000	39,99,112	1,34,40,112
2	Rastriya Ahinsa Mancha	West Bengal	1,17,90,100	1,50,200	3,43,000	1,22,83,300
3	Dharmarajya Paksha	Maharashtra	20,25,000	9,01,777	78,35,918	1,07,62,695

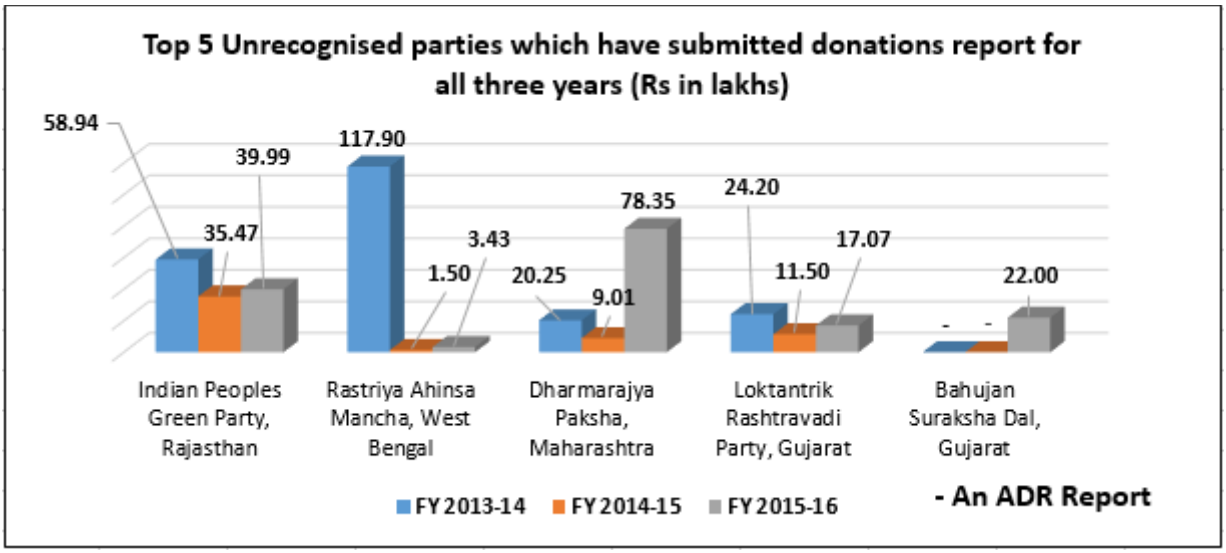

अमान्यताप्राप्त दल जिन्होंने रु 20,000 से कम का दान घोषित किया

a) आर पी ए, 1951 और चुनाव आयोग के दान रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार राजनीतिक दलों को आयकर में छूट मिलने के लिए केवल रु 20,000 से अधिक के दान का विवरण ही चुनाव आयोग को जमा करना होता है |

b) **42** अमान्यता प्राप्त दलों ने चुनाव आयोग में कम से कम एक वित्तीय वर्ष के लिए अपना दान रिपोर्ट में रु 20,000 से कम दान घोषित किया है |

c) इन अमान्यताप्राप्त दलों ने वि व् 2013-14 के दौरान **स्वैच्छिक योगदान** के माध्यम से **रु 14.03 करोड़** का दान घोषित किया जिसमें से दलों ने **रु 9.99 लाख** का दान रु 20,000 से कम के दान से प्राप्त किया | वि व् 2014-15 में **रु 6.86 करोड़** में से **रु 20.79 लाख** और वि व् 2015-16 के दौरान **रु 4.37 करोड़** में से **रु 26.52 लाख** का दान रु 20,000 से कम के दान से मिला है |

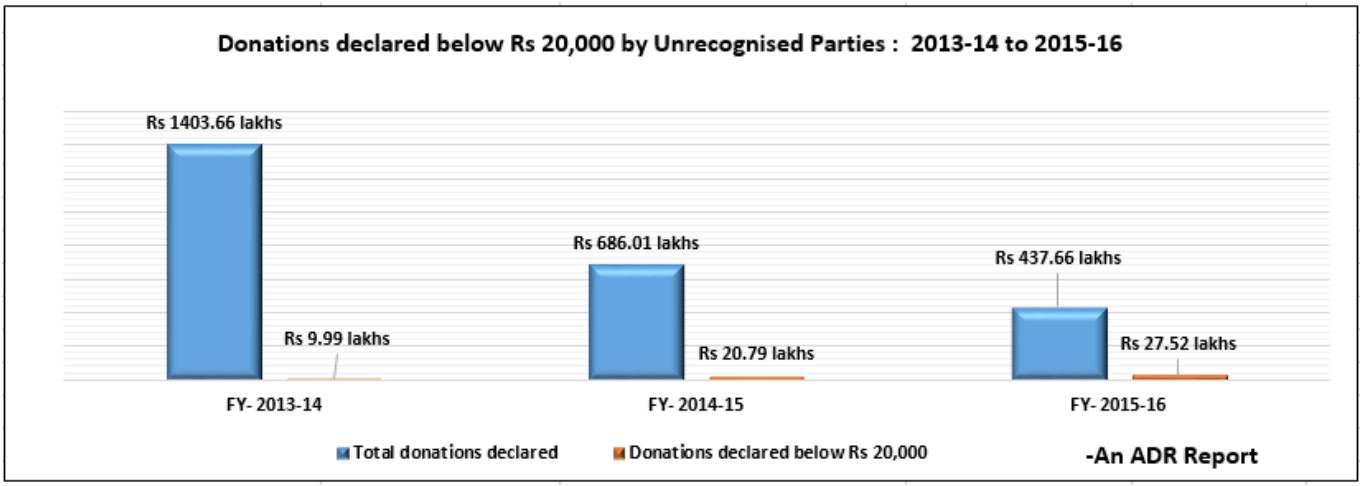

अमान्यता प्राप्त दलों बनाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल - घोषित दान

a) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों ने स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से **रु 393.18 करोड़** का दान घोषित किया है | जिसमें से मान्यता प्राप्त दलों (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल) ने **रु 382.15 करोड़** और अमान्यता प्राप्त दलों का घोषित दान **रु 14.03 करोड़** था |

b) वि व् 2014-15 में सभी पंजीकृत दलों द्वारा घोषित दान **रु 778.08 करोड़** था | राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर **रु 771.22 करोड़** का दान घोषित किया जबकि अमान्यता प्राप्त दलों ने **रु 6.86 करोड़** का दान दर्शाया है |

c) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने कुल **रु 281.85 करोड़** का दान एकत्रित किया और वहीँ अमान्यता प्राप्त दलों का दान **रु 4.38 करोड़** रहा |

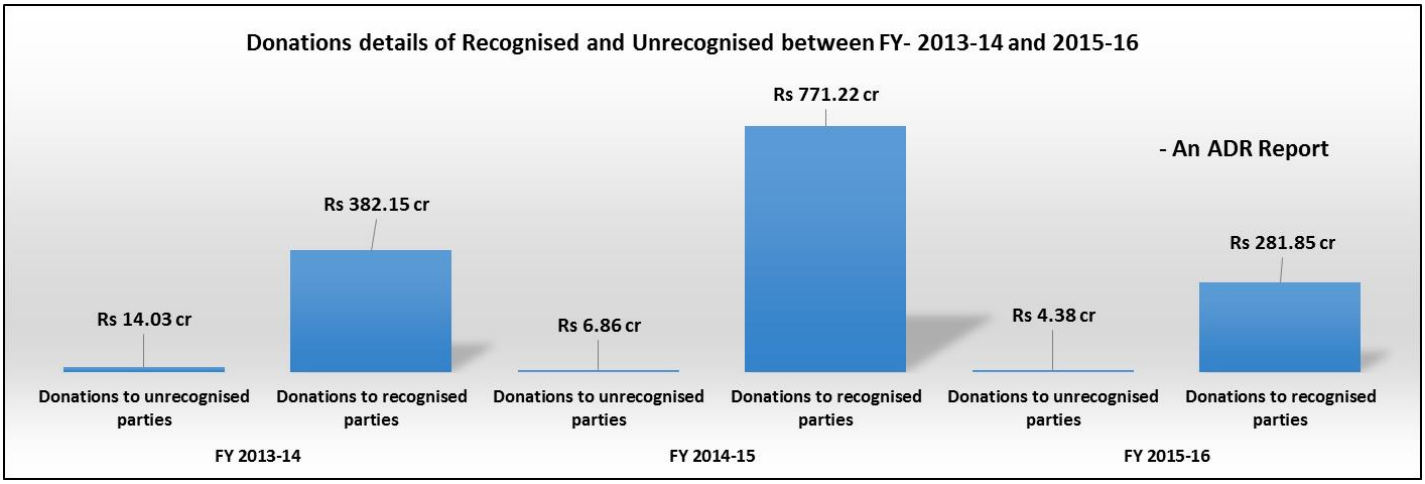

एडीआर के अवलोकन और शिफारिशें

अवलोकन

1. वि व् 2013-14 से 2015-16 के बीच केवल **5%** अमान्यताप्राप्त पंजीकृत दलों ने ही अपना दान रिपोर्ट चुनाव आयोग में प्रस्तुत किया है | इन सभी दलों में से केवल **33 दलों** ने ही अपना दान रिपोर्ट लगातार तीन वर्ष जमा किया है |
2. केवल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमान्यता प्राप्त दलों ने ही कम से कम एक वित्तीय वर्ष के लिए अपना दान रिपोर्ट जमा किया है |
3. पांच अमान्यता प्राप्त दल ऐसे हैं जिन्होंने तीन सालों में से अपने दान रिपोर्ट में एक साल के लिए लाखों का दान घोषित करके बाकी दो सालों के लिए **शून्य** दान दर्शाया है |
4. राजस्थान के **National Unionist Zamindara Party** ने वि व् 2013-14 के दौरान अपने दान रिपोर्ट में **रु 3.70 करोड़** का दान घोषित किया था | यहाँ पर ध्यान देने की जरुरत है कि इसी दल ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में **स्वैच्छिक योगदान** के माध्यम से **रु 11.56 करोड़** वि व् 2014-15 में और **रु 6 लाख** वि व् 2015-16 में घोषित किया है लेकिन इन दानों के दान दाताओं का विवरण दान रिपोर्ट के माध्यम से सार्वजानिक तौर पर उपलब्ध नहीं हैं |
5. **42** अमान्यता प्राप्त दलों ने चुनाव आयोग में कम से कम एक वित्तीय वर्ष के लिए अपना दान रिपोर्ट में रु 20,000 से कम दान घोषित किया है |

शिफारिशें

1. 1999 में, चुनाव आयोग ने 200 से अधिक उन राजनितिक दलों को नोटिस जारी किया, जो 1995 तक पंजीकृत हो गए थे लेकिन किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया था | जिन 150 दलों ने आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन दलों का नाम पंजीकृत दलों की सूचि से हटा दिया गया था | इसी तरह 2016 में 255 ऐसे राजनीतिक दलों को '**de-listed**' किया गया जो राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रीय नहीं थे |
   जो दल पांच साल से अधिक समय से चुनाव में सक्रीय नहीं हैं, उन्हें इस **De-list** के माध्यम से हटा देना चाहिए | यह अभ्यास पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है |
2. मनी लॉन्डरिंग, भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं और धन बल के दुरुपयोग से बचने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण का विनियमन महत्वपूर्ण है | दलों के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को सख्त मानदंड लगाना चाहिए और जो दल पंजीकरण के बाद इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर कठोर कदम उठाना चाहिए |
3. सार्वजानिक जाँच के लिए दलों के सभी दान दाताओं का पूर्ण विवरण आरटीआई के तहत उपलबध कराया जाना चाहिए|
4. अमान्यता प्राप्त दलों की वित्तीय संबंधित जानकारी आयकर विभाग की तरफ से जाँच की जानी चाहिए खासकर वो दल जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं मगर स्वैच्छिक योगदान घोषित करते हैं |
5. अमान्यता प्राप्त दलों के ऑडिट और दान रिपोर्ट हर एक राज्य के CEO वेबसाइट पर नियमित रूप से सार्वजानिक तौर पर उपलब्ध होना चाहिए |

सम्पर्क

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org	Maj Gen Anil Verma (Retd.) Head NEW & ADR +91 8826479910 anilverma@adrindia.org	Prof Jagdeep Chhokar IIM Ahmedabad (Retd) Founder NEW & ADR +919999620944 jchhokar@gmail.com	Prof Trilochan Sastry IIM Bangalore Founder Member, NEW & ADR +919448353285, trilochans@iimb.ernet.in